/

स्वामीनाथन कुंचु आचार्य बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 898) जून 09,2022

/

[एम**.** आर**.** शाह और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

अभिरक्षा-नाबालिग बच्चे की-5 साल के बच्चे ने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया-अपीलकर्ता बच्चे का पैतृक दादा है, और उसने और उसकी पत्नी-पैतृक दादा-दादी ने बच्चे की अभिरक्षा की मांग की-अपीलकर्ता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करने वाली याचिका-प्रतियोगी प्रतिवादी संख्या 4 बच्चे की मातृ चाची है-उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 को अभिरक्षा सौंप दी-आयोजितःतथ्यों और परिस्थितियों पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/पैतृक दादा-दादी को शव-पोते की अभिरक्षा नहीं सौंपने और/या जारी रखने में गलती की-आय और/या उम्र और/या बड़ा परिवार संतुलन को झुकाने और पोते की अभिरक्षा दादा-दादी को नहीं देने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है-यह कोई धारणा नहीं हो सकती है कि मातृ चाची अविवाहित होने के कारण स्वतंत्र आय रखती है; पैतृक दादा-दादी से छोटी और बड़ा परिवार होने से पैतृक दादा-दादी की तुलना में बेहतर देखभाल होगी-अपीलार्थी/पैतृक दादा-दादी अहमदाबाद के एक स्कूल में नाबालिग का प्रवेश प्राप्त करने में भी कामयाब रहे (जहां अपीलार्थी रह रहा था)-नाबालिग को अहमदाबाद में बेहतर शिक्षा मिलेगी, जो दाहोद में शिक्षा की तुलना में एक मेट्रो सिटी है।4 रहने वाला था-इसके अलावा, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति होने के नाते, अपीलकर्ता/पैतृक दादा-दादी अधिक समय देंगे और सरकारी विभाग में सेवारत प्रतिवादी संख्या 4 की तुलना में नाबालिग की बेहतर देखभाल करेंगे-यदि पैतृक दादा-दादी और मातृ चाची के बीच संतुलन बनाना है, तो संतुलन निश्चित रूप से पैतृक दादा-दादी के पक्ष में झुक जाएगा-उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया-हालाँकि, वर्तमान आदेश यू/एस की कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।7 संरक्षक और वार्ड अधिनियम, सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित-अपीलार्थी/पैतृक दादा-दादी के साथ जारी रखने के लिए लघु कोष की अभिरक्षा, जिन्हें देखभाल करने का निर्देश दिया जाता है

/

/

/

/

/

/

727 ए.

728 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

नाबालिग-हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 4 को मिलने का अधिकार होगा-इसके अलावा, छुट्टी और/या छुट्टियों के दौरान अपीलकर्ता कोष की इच्छाओं और सुविधा के अधीन और उसकी शिक्षा और यहां तक कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों सहित कोष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-मातृ दादा-दादी के साथ-साथ मातृ चाची और उसके परिवार (मातृ पक्ष में) को संयुक्त रूप से और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्य करने और नाबालिग के व्यापक हित में सौहार्दपूर्ण संबंध रखने की अनुमति दे सकता है।

/

पेरी कंसाग्रा बनाम स्मृति मदन कंसाग्रा, (2019) 20 एस. सी. सी. 753 और आशीष रंजन बनाम अनुपमा टंडन और

/

एन. आर. (2010) 14 एस. सी. सी. 274-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

(2019) 20 एस**.** सी**.** सी**. 753**

संदर्भित

पैरा **5.4**

(2010) 14 एस**.** सी**.** सी**. 274**

संदर्भित

पैरा **5.4**

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील No.898।

2021 के विशेष आपराधिक आवेदन No.6708 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.05.2022 के निर्णय और आदेश से।

/

डी. एन. रे, दिलीप कुमार नायक, सुश्री दिशा रे, श्रीमती सुमिता रे, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

रउफ रहीम, अली असगर रहीम, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा विशेष आपराधिक आवेदन सं. 6708/2021 में पारित आक्षेपित निर्णय और दिनांक 02.05.2022 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा, अभिदाय प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करने वाली रिट याचिका में-5 वर्ष के प्रणव आचार्य, जो यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है-कोष के पैतृक दादा, उच्च न्यायालय ने कोष की अभिरक्षा प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी सं. 4-मातृ चाची ए को सौंप दी है।

/

/

729

स्वामीनाथन कुंचु आचार्य बनाम गुजरात राज्य और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कोष में से, अपीलार्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता-पैतृक दादा ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. यहाँ 71 वर्ष की आयु का अपीलार्थी कार्पस के पितामह हैं।प्रत्यर्थी संख्या 4 वह मातृ चाची है जिसे उच्च न्यायालय ने कोष की अभिरक्षा दी है।

/

2.1 कॉर्पस के माता-पिता अहमदाबाद में काम कर रहे थे और रह रहे थे।शव और उसके माता-पिता खुशी-खुशी रह रहे थे।दुर्भाग्य से, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कॉर्पस के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई।कॉर्पस के पिता-राजेश आचार्य की मृत्यु 13.05.2021 पर हुई और कॉर्पस की माँ, अर्थात् राखी आचार्य की मृत्यु 12.06.2021 पर हुई।जबकि कॉर्पस के माता-पिता कोविड-19 से संक्रमित थे, माइनर कॉर्पस उत्तरदाता संख्या 4 के साथ रह रहा था-मातृ चाची।अपीलार्थी-उच्च विधि के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता-पैतृक दादा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से उच्च विधि का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 4-मातृ चाची उन्हें अपने बेटे और बहू के घर में प्रवेश करने और शव का सामान लेने की अनुमति नहीं दे रही हैं।यह भी आरोप

लगाया गया था कि अपीलार्थी को कोष को पूरा करने की अनुमति भी नहीं है।इसलिए, अपीलार्थी-पैतृक दादा ने 5 साल की उम्र के नाबालिग कोष की अभिरक्षा की मांग की। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने नाबालिग कोष की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 4-मातृ चाची को दे दी है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के अंतरिम आदेश के अनुसार, नाबालिग कोष की अंतरिम अभिरक्षा अपीलार्थी को दी गई थी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक अपीलार्थी के पास रही।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को 31.05.2022 पर कोष की अभिरक्षा देने का निर्देश दिया है।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह उम्मीद की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 4 पैतृक दादा-दादी को नियमित आधार पर, अधिमानतः महीने में दो बार, जब भी दोनों परिवारों के लिए सुविधाजनक हो, कोष को पूरा करने का अधिकार प्रदान करेगा।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का कार्यात्मक भाग निम्नानुसार हैः-

/

/

/

/

/

“ 7.2 उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में कॉर्पस का कल्याण और सर्वोत्तम हित प्रतिवादी संख्या 4 (मातृ चाची) अर्थात् हेमांगिनी @मिंटू मदनमोहन सूर्यवंशी के पास है।इसलिए जाने दें।

/

730

/

[2022] 6 एस सी आर।

माइनर कॉर्पस की अभिरक्षा-प्रणव राजेश आचार्य को मातृ चाची यानी प्रतिवादी संख्या 4 को दिया जाए।याचिकाकर्ता को 31 मई, 2022 को 11 के बीच कॉर्पस की अभिरक्षा देने का निर्देश दिया गया हैः00 ए. एम. से 5:00 पी. एम प्रतिवादी संख्या 4 को नए शैक्षणिक वर्ष से दाहोद के स्कूल में कॉर्पस की शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।प्रवेश के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने की उम्मीद है।

/

7.3 इसके अलावा, इक्विटी को संतुलित करने के लिए और याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी की उम्र को ध्यान में रखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 4 पैतृक दादा-दादी को नियमित आधार पर, अधिमानतः महीने में दो बार, जब भी दोनों परिवारों के लिए सुविधाजनक हो, कोष को पूरा करने का अधिकार प्रदान करेगा।यह वांछनीय है कि अवकाश और छुट्टियों के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 4, कार्पस की इच्छाओं के अधीन, कार्पस को अपने दादा-दादी से मिलने और रहने की अनुमति दे।कॉर्पस और याचिकाकर्ता के बीच नियमित रूप से वीडियो कॉलिंग होने की भी उम्मीद है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तरदाताओं से कार्पस और उसके दादा-दादी के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ताकि भावनात्मक बंधन बरकरार रहे।

/

/

7.4 हालाँकि यह स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के किसी भी आवेदन को सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर करने के विधि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। "

/

2.2 प्रत्यर्थी संख्या 4-मातृ चाची को कोष की अभिरक्षा देने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलकर्ता-कोष के दादा ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

3. श्री डी. एन. रे, विद्वान वकील, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए हैं-कार्पस के पैतृक दादा और श्री रउफ रहीम, विद्वान वकील, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेश हुए हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रे ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी पैतृक दादा हैं, जो अपने नाबालिग पोते की अभिरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है।4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4 को कोष की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश देने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की है जो कोष की मातृ चाची है।यह ए

/

/

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पैतृक दादा-दादी के साथ कोष की अभिरक्षा नहीं देने/जारी रखने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/पैतृक दादा-दादी को अभिरक्षा नहीं देते हुए और इसके बजाय मातृ चाची को अभिरक्षा देने के लिए दिए गए कारण स्पष्ट नहीं हैं।

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी पैतृक दादा होने के नाते अपने पोते की देखभाल करने की स्थिति में नहीं होगा।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता-पैतृक दादा की आयु 71 वर्ष है और उनकी पत्नी-पैतृक दादी की आयु 63 वर्ष है और इसलिए, यह मान लेना कि पैतृक दादा-दादी पोते की बेहतर देखभाल करने की स्थिति में नहीं होंगे, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी धारणा नहीं हो सकती है।

/

/

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह प्रत्यर्थी संख्या 4 को कोष की अभिरक्षा पर अन्य कारण दिए गए हैं-मातृ चाची यह है कि उसका परिवार बड़ा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी संख्या 4 का परिवार बड़ा है, इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वे अपीलार्थी-पैतृक दादा-दादी की तुलना में अपीलार्थी के पोते की बेहतर देखभाल करेंगे।

/

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोष ने भी अपीलार्थी और उसकी पत्नी-दादा-दादी के खिलाफ इस प्रभाव से कुछ नहीं कहा है कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जा रही है।

/

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और दादा-दादी अपने पोते की देखभाल करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे, उच्च न्यायालय ने अपने पोते की अभिरक्षा रखने के दादा-दादी के दावे के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 4-मातृ चाची को कोष की अभिरक्षा सौंपने में संतुलन को झुकाने में एक गंभीर गलती की है।

/

5. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रउफ रहीम ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए जोरदार तरीके से कहा है

/

प्रस्तुत किया कि जब ठोस कारण देकर और बच्चे के कल्याण और व्यापक हित को देखते हुए, जब उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4-मातृ चाची को कोष की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश दिया है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

/

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4-मातृ चाची एक स्पिनस्टर हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं जो कार्पस के कल्याण और पालन-पोषण की देखभाल, देखभाल और ध्यान केंद्रित करती हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मातृ चाची की आयु लगभग 46 वर्ष है और M.Com और एक केंद्र सरकार के कर्मचारी के पास अच्छा वेतन है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, वह 71 वर्ष की आयु का एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, जब संतुलन बनाया जाता है, तो उस मामले में प्रतिवादी संख्या 4-मातृ चाची अपीलार्थी-पैतृक दादा की तुलना में कोष की देखभाल और देखभाल करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी।

/

/

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने आसपास के सभी कारकों पर विचार किया है। (i) मातृ चाची की आयु 46 वर्ष है; (ii) वह दादा की तुलना में बेहतर योग्यता वाली एम. कॉम है; (iii) वह एक केंद्र सरकार की कर्मचारी है जिसके पास अच्छा वेतन है; (iv) एक संयुक्त परिवार में रहने का पर्याप्त सकारात्मक अंतर शिक्षकों के साथ बातचीत, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों की आवश्यकता सहित शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा कोष के संपूर्ण विकास के लिए सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के प्रतिवादी नंबर 4-मातृ चाची ने भी सेंट स्टीफन स्कूल, दाहोद में 09.07.2021 पर कार्पस में प्रवेश कराया है, जो एक प्रतिष्ठित स्कूल है।उक्त विद्यालय दाहोद में उनके आवासीय आवास के पास है और यात्रा में कोई कठिनाई नहीं है।5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी-पैतृक दादा एक सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं और पेंशन पर रह रहे हैं जो बहुत अधिक नहीं है।5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मामलों में देखा गया है

/

/

/

पेरी कंसाग्रा बनाम स्मृति मदन कंसाग्रा; (2019) 20 एससीसी 753 और आशीष रंजन बनाम अनुपमा टंडन ए

/

733

स्वामीनाथन कुंचु आचार्य बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

और एन. आर. (2010) 14 एस. सी. सी. 274, एक की हिरासत के मामले में

नाबालिग बच्चे का कल्याण और हित सर्वोपरि है।

5.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

7. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपीलकर्ता पैतृक दादा है और वह और उसकी पत्नी-पैतृक दादा-दादी अपने नाबालिग पोते की अभिरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है।प्रत्यर्थी संख्या 4 मातृ चाची हैं जिन्हें आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने कोष की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश दिया है। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी अहमदाबाद में रह रहा है और प्रतिवादी संख्या 4-मातृ चाची दाहोद में रह रही है, जो एक आदिवासी क्षेत्र/जिला है।

/

/

7.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से और प्रतिवादी संख्या 4-मातृ चाची को नाबालिग की अभिरक्षा सौंपते समय उच्च न्यायालय के साथ जो विचार किया गया है, वह यह है कि अपीलकर्ता-पैतृक दादा-दादी क्रमशः 71 और 63 वर्ष की आयु के हैं, जिसके खिलाफ प्रतिवादी संख्या 4 की आयु 46 वर्ष है। कि प्रतिवादी संख्या 4-मातृ चाची का परिवार बड़ा है; कि अपीलार्थी एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है-पेंशन के आधार पर जिसके खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 4 एक सरकारी कर्मचारी है और इसलिए वह नाबालिग की

देखभाल करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी।इसलिए, उच्च न्यायालय ने राय दी है कि यह बच्चे के व्यापक हित और कल्याण में होगा कि अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 4-मातृ चाची को सौंप दी जाए।हालाँकि, साथ ही, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कोष ने अपीलार्थी-पैतृक दादा-दादी के साथ रहने का उनका झुकाव दिखाया है, इसलिए दिनांकित 23.12.2021 आदेशों में से एक में दर्ज किया गया है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार नाबालिग की हिरासत दादा के पास ही रही।उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि अंतरिम अभिरक्षा अवधि के दौरान, अपीलार्थी

/

/

/

/

734

/

[2022] 6 एस सी आर।

– दादा-दादी ने नाबालिग की उचित देखभाल नहीं की।नाबालिग द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी।इसके विपरीत और जैसा कि ऊपर देखा गया है, नाबालिग ने अपीलार्थी के साथ रहने की अपनी इच्छा दिखाई है।उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है कि अंतरिम अभिरक्षा अवधि के दौरान, अपीलार्थी-पैतृक दादा-दादी ने नाबालिग के हित के लिए हानिकारक काम किया और/या उन्होंने उचित देखभाल नहीं की।

/

7.2 जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा नाबालिग की अभिरक्षा को मातृ चाची को सौंपते समय दिए गए कारणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, हमारी राय है कि वे कारण/आधार प्रासंगिक हो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हैं।ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि मातृ चाची अविवाहित होने के कारण, जिनकी स्वतंत्र आय होती है; दादा-दादी से छोटी और बड़ा परिवार होने पर वे दादा-दादी की तुलना में बेहतर देखभाल करेंगी।हमारे समाज में अभी भी दादा-दादी हमेशा अपने पोते की बेहतर देखभाल करते थे।किसी को अपने पोते की देखभाल करने के लिए दादा-दादी की क्षमता और/या क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए।ऐसा कहा जाता है कि दादा-दादी को सिद्धांत के बजाय ब्याज पसंद है।भावनात्मक रूप से भी दादा-दादी हमेशा अपने पोते की बेहतर देखभाल करेंगे।दादा-दादी पोते-पोतियों के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़े होते हैं।बताया जाता है कि वे नाबालिग को अहमदाबाद के

एक स्कूल में दाखिला दिलाने में भी कामयाब रहे हैं।नाबालिग को अहमदाबाद में बेहतर शिक्षा मिलेगी, जो दाहोद में शिक्षा की तुलना में मेट्रो शहर है।एक सेवानिवृत्त व्यक्ति होने के नाते, दादा-दादी अधिक समय देते थे और सरकारी विभाग में सेवारत प्रतिवादी संख्या 4 की तुलना में नाबालिग की बेहतर देखभाल करते थे।आय और/या आयु और/या बड़ा परिवार संतुलन को झुकाने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और पोते की देखभाल दादा-दादी को नहीं दी जा सकती है।पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि न तो उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता या दादा-दादी के खिलाफ कुछ भी नहीं देखा है कि उन्होंने नाबालिग पोते की उचित देखभाल नहीं की है, जबकि कोष की अंतरिम अभिरक्षा वे थे और/या उन्होंने ए.

/

/

/

/

/

/

735

स्वामीनाथन कुंचु आचार्य बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

नाबालिग के हित के लिए हानिकारक।हम उच्च न्यायालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा यह बहुत कठिन चुनाव था।हालांकि, ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-पैतृक दादा-दादी को कोष की अभिरक्षा नहीं सौंपने और/या जारी रखने और प्रत्यर्थी संख्या 4-कोष की मातृ चाची को कोष की अभिरक्षा देने में त्रुटि की है। हमारी राय है कि यदि ऊपर बताए गए कारणों से दादा-दादी और नानी के बीच संतुलन बनाना है, तो संतुलन निश्चित रूप से दादा-दादी के पक्ष में झुक जाएगा।हालाँकि, हमें गलत नहीं समझा जा सकता है कि मातृ चाची अपनी मृत बहन के नाबालिग बेटे की उचित देखभाल नहीं कर सकती है।8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा अप्राप्त कोष की अभिरक्षा प्रत्यर्थी संख्या 4 को सौंपने का आक्षेपित निर्णय और आदेश-अपीलकर्ता-पैतृक दादा को अप्राप्त कोष की अभिरक्षा सौंपने के बजाय मातृ चाची-अस्थिर है और यह रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य है और तदनुसार, रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान आदेश संरक्षक और वार्ड अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होगा, जो सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

/

/

/

/

हम निर्देश देते हैं कि नाबालिग कोष-प्रणव आचार्य की अभिरक्षा अपीलार्थी-पैतृक दादा-दादी के साथ जारी रखी जाए, जिन्हें नाबालिग-प्रणव आचार्य की देखभाल करने का निर्देश दिया जाता है।अपीलार्थी को अहमदाबाद के एक स्कूल में कोष की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया जाता है।तथापि, प्रत्यर्थी सं. 4 को भेंट का अधिकार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि अपीलार्थी नियमित आधार पर अधिमानतः महीने में एक बार, बच्चे की सुविधा के अधीन, कोष को पूरा करने का अधिकार प्रदान करेगा।यह भी देखा गया है कि अवकाश और/या छुट्टियों के दौरान अपीलकर्ता कोष को मातृ चाची-प्रतिवादी संख्या 4 के पास जाने और रहने की अनुमति दे सकता है, जो निश्चित रूप से कोष की इच्छाओं और सुविधा के अधीन है और यह उसकी शिक्षा और यहां तक कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों सहित कोष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है।यह भी उम्मीद की जाती है कि नियमित रूप से कॉर्पस और मातृ चाची के बीच वीडियो कॉलिंग होगी।

/

/

/

हम दोनों, दादा-दादी और नानी और उनके परिवार (मातृ पक्ष से) से अनुरोध करते हैं कि वे संयुक्त रूप से और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और सौहार्दपूर्ण संबंध रखें जो नाबालिग के व्यापक हित में होगा-प्रणव आचार्य।हम सभी संबंधित लोगों से कड़वाहट को भूलने और अतीत को भूलने और नाबालिग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य में देखने का अनुरोध करते हैं-प्रणव आचार्य, जिन्होंने दुर्भाग्य से केवल पांच साल की उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया है।इसी आशा और विश्वास के साथ हम वर्तमान कार्यवाही को समाप्त करते हैं।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात ि है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/